राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–3) विभाग

क्रमांक प.4(6)कार्मिक/क–3/78 जयपुर, दिनांक 23.7.2003

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण
2. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर्स सहित)
3. समस्त शासन विशिष्ठ सचिव/शासन उप सचिवगण

परिपत्र

विषयः अधिकारियो/कर्मचारियों की फील्ड पोस्टिंग के संबंध में।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 13.7.2001, 26.7.2001, 10.8.2001, 3.9.2001 6.9.2001, 13.7.2001 व 6.12.2001की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनके द्वारा इस आशय के निर्देश दिये गये थे कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को आपराधिक प्रकरणों में अथवा सीसीए नियम 16 के तहत विभागीय जांच में सरकार को हानि पहुंचाने/सरकारी धन का दुरूपयोग करने या उसका गबन करने अथवा गम्भीर वित्तीय अनियमितताए करने जैसे आरोपों के लिये दण्डित किया जा चुका है अथवा इस प्रकार के मामले उनके विरूद्ध लम्बित हैं तो उन्हें फील्ड पोस्टिंग से हटा लिया जाय तथा भविष्य में उन्हें फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाय। परंतु यह देखने में आया है कि उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना नहीं की जा रही है।

अतः आप सभी को यह सुनिश्चित करने हेतु व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त प्रकृति के आरोपों में अथवा आपराधिक मामलों में लिप्त कोई भी राजकर्मी फील्ड पोस्टिंग पर नहीं रहे। इन निर्देशों की सख्ती से पालना कराई जाय। निर्देशों की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जावेगा।

(आर.एन.मीणा)
शासन सचिव

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: भ्रनिब/संस्थापन/11/2003/ 4269 दिनांक:- 25-8-03

प्रतिलिपियां:-
1. अति. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस(1/2), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस(1/2), भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक(1/2), भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर/अजमेर/बीकानेर/भरतपुर/कोटा
5. अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र. नि. ब्यूरो, अशा/प्राजा/परिवाद/वि. जांच/इन्टे एसआईडब्ल्यू/एसआईयू, जयपुर।
6. प्रभारी, वि. जांच(संस्थापन) भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर।

निजी सहायक
निजी सहायक
निजी सहायक
निजी सहायक

25/8/03